



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-19022026-270313
CG-OR-E-19022026-270313

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 851]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 2026/माघ 29, 1947

No. 851]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2026/MAGHA 29, 1947

रेल मंत्रालय

(पूर्व तट रेलवे)

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 18 फरवरी, 2026

रेलवे अधिनियम, १९८९ की धारा 20A के तहत सूचना

का.आ. 891(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (89 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा बीसए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, ओडिशा राज्य में अंगुल जिले में विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात्, “ओडिशा राज्य में पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड डिवीज़न के अंतर्गत **तालचेर बिमलागढ़ नई ब्रॉड गेज रेल पथ प्रकल्प**” का निर्माण के लिए आवश्यक है। एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करता है;

उक्तभूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा बीसडी की उप-धारा (एक) के तहत उक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण पर आपत्ति उठाएं;

प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, **स्वतंत्र भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तालचेर बिमलागढ़ नई ब्रॉड गेज रेल पथ प्रकल्प, तालचेर, जिला - अंगुल, राज्य - ओडिशा** को लिखित रूप में की जाएगी, और उसके आधार निर्धारित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा, और उसके बाद, ऐसी सभी आपत्तियों को सुनकर और ऐसी आगे की जांच करने

के बाद, यदि कोई हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आपत्तियों को अनुमति या अस्वीकार कर देता है;

उक्त अधिनियम की धारा बीस डी की उप-धारा (दो) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजना एवं अन्य विवरण उपलब्ध है तथा सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में इच्छुक व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

ओडिशा राज्य में अंगुल जिले में विशेष रेलवे परियोजना, “ओडिशा राज्य में पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड डिवीज़न के अंतर्गत **तालचेर बिमलागढ़ नई ब्रॉड गेज रेल पथ प्रकल्प**” का निर्माण, संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिलाका नाम: अनुगुल							
क्रमांक	गांव का नाम	खाता नंबर	खसरा/ प्लॉट नं.	कुलक्षेत्रफल (एकर में)	अधिग्रहीत क्षेत्र (एकर में)	किसम	भूमिका प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जांगड़ा	3	2	1.020	0.330	सारद -1	व्यक्तिगत
	कुल			1.020	0.330		
2	जयपुरा	80/9	59/575	3.700	0.300	तैला-1	व्यक्तिगत
3	जयपुरा	80/09	63/574	0.300	0.250	तैला-1	व्यक्तिगत
4	जयपुरा	80/66	553/667	1.800	0.620	तैला-1	व्यक्तिगत
5	जयपुरा	80/95	61/573/697	0.200	0.200	तैला-1	व्यक्तिगत
6	जयपुरा	80/95	59/575/698	0.200	0.200	तैला-1	व्यक्तिगत
7	जयपुरा	80/95	59/576/699	0.050	0.050	घरबारी	व्यक्तिगत
		कुल		6.250	1.620		

गांव का विवरण

क्रमांक	गांवका नाम	क्षेत्रफल (एकर में)
1	जांगड़ा	0.330
2	जयापुरा	1.620
	कुल	1.950

[फा. सं. CE/CON/II/BBS/TLHR-BUF/20A/Corrigendum]

अजय कुमार सामल, चीफ इंजीनियर (निर्माण -II)

MINISTRY OF RAILWAYS

(East Coast Railways)

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 18th February, 2026

Notice Under Section 20A of the Railway Act, 1989

S.O. 891(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (here in after referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required for the execution of the **Special Railway Project**, namely, “**Talcher-Bimalagarh New B.G. Rail Link Project**” under Khurda Road Division of East Coast Railway in the State of Odisha, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely **Special Land Acquisition Officer, Talcher-Bimalagarh New B.G. Rail Link, Talcher, Dist:-Angul, Odisha** in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) (attached here with) to be acquired, with or without structures, for the **Special Railway Project**, namely, “**Talcher-Bimalagarh New B.G. Rail Link Project**” under Khurda Road Division of East Coast Railway in the State of Odisha.

Name of District: Angul							
SI. No.	Name of Village	Khata No.	Khasra/ Plot No.	Total Area (In Acre)	Acquired Area (In Acre)	Kisam of Land	Type of Land
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jangada	3	2	1.020	0.330	Sarad-1	PVT.
	Total			1.020	0.330		
2	Jayapura	80/9	59/575	3.700	0.300	Taila-1	PVT.
3	Jayapura	80/09	63/574	0.300	0.250	Taila-1	PVT.
4	Jayapura	80/66	553/667	1.800	0.620	Taila-1	PVT.
5	Jayapura	80/95	61/573/697	0.200	0.200	Taila-1	PVT.
6	Jayapura	80/95	59/575/698	0.200	0.200	Taila-1	PVT.
7	Jayapura	80/95	59/576/699	0.050	0.050	Gharabari	PVT.
	Total			6.250	1.620		

Village wise Abstract.

SL NO.	VILLAGE	AREA (In Acre)
1	Jangada	0.330
2	Jayapura	1.620
	Total	1.950

[F. No. CE/CON/II/BBS/TLHR-BUF/20A/Corrigendum]

AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer(Con-II)